निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 201/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बाबूलाल पुत्र जगदीश जाति मीना निवासी 62, जमादारो की ढाणी, फाल्याबाला, तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स एम. के. होल्डिंग प्रा. लि. 104, मुनीष प्लाजा 20, अंसारी रोड, दरियागंज दिल्ली, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि राजीव डूडेजा पुत्र यशपाल डूडेजा कार्यालय 73, उद्योग विहार फैज प्रथम, गुडगांव ।
2. नायब तहसीलदार तूंगा, उप तहसील तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
3. उप पंजीयक तूंगा, उप तहसील तूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
4. सहायक कलक्टर बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 236 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 273/2019 ब उनवानी बाबूलाल बनाम एम के होल्डिंग प्रा. लि. व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थित:-

1. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हिमांशु सोगानी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 19.01.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 273/2019 ब उनवानी बाबूलाल बनाम एम के होल्डिंग प्रा. लि. व अन्य विचाराधीन है। जिसमे पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 की ओर श्री हिमांशु सोगानी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 4 के यहां इस आशय की रिलीफ के साथ दावा प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या एक को वाद पत्र के मद संख्या एक में वर्णित वादी की कय शुदा एवं कब्जेशुदा भूमि के संबध मे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, ना ही पुख्ता निर्माण करें। ना ही बेचान करें व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा

जिला कलक्टर
जयपुर

स्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या एक काफी बड़ी कम्पनी है। जिसके प्रोपराईटर काफी उंची पहुंचवाले है, उनकी दिल्ली तक पहुंच है एवं प्रार्थी का मत है कि अप्रार्थी संख्या एक कम्पनी अपनी उंची पहुंच का फायदा उठा कर प्रार्थी के मुकदमे को प्रभावित कर सकती है। दिनांक 28.11.2019 को अप्रार्थी संख्या 4 के यहां तारीख पेशी पर अप्रार्थी संख्या एक के मुनादये आये हुये थे, जिन्होंने न्यायालय के बाहर निकलते ही प्रार्थी को यह कहा कि अब तुम हमारी उंची पहुंच को देखना, हम तुम्हारे मुकदमे को कैसे खारिज करवाते है। ऐसी दशा में प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 4 के यहां विचाराधीन प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए पत्रावली को जयपुर स्थित किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि बाबत एक तरफा स्थगन आदेश मिला हुआ है। इसलिए प्रकरण को लम्बा करने के उद्देश्य से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने के योग्य है, परन्तु मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज करने पर आगे न्यायालय में जाने की सम्भावना है जिससे मूल वाद के निस्तारण में अधिक विलम्ब होगा। अतः प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जावे।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर बस्सी के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शक जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। बस्सी मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी का न्यायालय भी स्थापित है, जिससे इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नहीं होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 273/2019 व उनवानी बाबूलाल बनाम एम.के. होलिडंग प्रा. लि. व अन्य मय स्थगन प्रार्थना पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 16.02.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर बस्सी व उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर